प्रकरण संख्या 75/2016 जलिया बनाम कनु

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा वादी/रेस्पोन्डेन्ट के विभाजन के वाद को दिनांक 10.07.2015 को प्रारम्भिक डिक्री किया है। प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि विवादित आराजियात वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि खेमा पत्नी नाथू को आराजी नंबर 323, कलजी पिता मडिया को खसरा नंबर 831/300 तथा वादर पिता रामहींग को आराजी नंबर 834/298 का विक्रय कर दिया है। वादी की उक्त भूमि को कम करते हुए भूमि का विभाजन किया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी के इस आशय के बयान उपलब्ध होने के बावजूद प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2015 को यह अंकित करते हुए कि प्रतिवादी द्वारा इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतएवं हस्ब हिस्सा विभाजन कर दिया जावे। प्रकरण में पत्रावली प्रतिवादी/अपीलान्ट के जवाब हेतु लम्बित थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अपीलान्ट/प्रतिवादी को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अत्यन्त जल्दबाजी में अपीलान्ट/प्रतिवादी के बयान लेकर तथ्यों के सत्यापन के बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है, जबकि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में कतिपय विक्रय सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। प्रकरण में यह प्रकट आता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.12.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी	

प्रकरण संख्या 75/2016 जलिया बनाम कनु

	उदयपुर	

प्रकरण संख्या 75/2016 जलिया बनाम कनु